

2018/00264

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

D

अज्ञेय पी

जिसे दे दे कि गांव सांगरिया की वर्तमान बंधवन्दी
 खाता नं. 434, 437 में अज्ञेय का नाम नन्दकिशोर हरदयाल पि. मुराधर
 दर्ज है जबकि आधार कार्ड में कालूराम, रामपाल पि. मुराधर है
 तथा पंचायत द्वारा प्रमाणपत्र में भी नन्दकिशोर की जगह कालूराम व
 हरदयाल की जगह रामपाल होना बताया गया है अतः उपरोक्त सूचना
 के आधार पर नन्दकिशोर की जगह कालूराम व हरदयाल की जगह
 रामपाल किया जाना उचित है रिपोर्ट प्रमाण पी की तैयारी पेश है

रिपोर्ट तहसीलदार सा. द्वारा प्रमाणित
 रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार
 24.5.18
 (होराम माली)
 पटवारी, प. नं. 1121/244
 पुलिस थाना (भीलवाड़ा)

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जाल्य IPR संशोधन स्वीकार योग्य है

तहसीलदार
 पुलिस थाना (भीलवाड़ा)

राजस्व लोक अदालत अभियान
 "न्याय आपके द्वार-2018"

प्र.सं 278/18

आदेश क्रम-सांगरिया दिनांक-29/05/18

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार पुलिस थाना के गांव-सांगरिया की जमाक-
 संबन्ध 2012-15 की खाता संख्या 434, 437 में दर्ज नन्दकिशोर
 और हरदयाल को बजाय कालूराम और रामपाल दर्ज
 किए जाने का आदेश दिया जाता है।
 पालनार्थ तहसीलदार पुलिस थाना को ज्ञापित है।



उपखण्ड अधिकारी एवं
 सहायक कलेक्टर
 पुलिस थाना, जिला-भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

पुलिस थाना (भीलवाड़ा) राज.